

प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट
“Refresher Course for Police Inspectors”
Batch No. 04

दिनांक 10-07-2017 से 15-07-2017

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।



राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 10-07-2017 से 15-07-2017 तक “Refresher Course for Police Inspectors” विषय पर छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत, आई.पी.एस. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों के कुल 31 पुलिस निरीक्षकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री सचिन कुमार शर्मा, साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट ने ‘इन्टरनेट-धोखाधड़ी साइबर अपराध, साइबर अपराधों का अनुसंधान एवं साइबर फॉरेंसिक’ का परिचय देते हुए इनके कारण, कार्यप्रणाली और समाधान पर संगठित अपराधों के अनुसंधान में सैलफोन, इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर का किस प्रकार बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है, इस पर विस्तृत व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री शाकिर परवेज, साइबर क्राइम एक्सपर्ट ने ‘क्रेडिट कार्ड एवं बैंक धोखाधड़ी’ पर साइबर अपराधों में साक्ष्य संकलन किस प्रकार किया जावे विषय पर विस्तृत रूप से बताया। प्रथम दिन के अन्तिम सत्र में श्रीमती पूनम, उ.नि. आर.पी.ए. ने ‘प्रतिवेदन लेखन (Report writing, communication skills, Positive attitude and team building)’ का पुलिस कार्यप्रणाली में उपयोग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में डॉ. सुमन राव, एपीपी, आरपीए ने ‘महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम’ के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। द्वितीय सत्र में श्री महेश कुमार, उ.नि. ने ‘नवीनतम संशोधन भा.द.सं., द.प्र.सं., साक्ष्य अधिनियम’ के संबंध में बताया। तृतीय सत्र में श्री उमेश शर्मा, सेशन जज (सेवानिवृत्त) ने ‘Reason of acquittal and Suggestion for avoiding common mistakes’ के बारे में बताया। अन्तिम सत्र में डॉ. लोकेश चतुर्वेदी, आरपीए ने विश्व जनसंख्या दिवस (POP) पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. बत्रा, आरएएस (सेवानिवृत्त) ने ‘जमीन व रेवेन्यू सम्बन्धी विवादों / प्रकरणों का अनुसंधान’ पर विस्तृत व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री जे. के. सचदेवा आईएएस (सेवानिवृत्त) एवं श्री आलोक कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ बैंकर ने ‘Overview of RTI’ पर अपना

व्याख्यान दिया। अंतिम सत्र में श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया, सहायक निदेशक (सी.डी.पी.एस.एम.) ने 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध- दहेज मृत्यु, हमला एवं बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम 2012 तथा इन अपराधों के अनुसंधान में ध्यान रखने योग्य बातें, विशेष प्रक्रिया एवं साक्ष्य अधिनियम' में इन अपराधों से संबंधित उपधारणाएँ एवं विशेष प्रावधान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री राजेश दुरेजा, पुलिस निरीक्षक, एटीएस, जयपुर ने 'सी.डी.आर. विश्लेषण' का किस प्रकार बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है, पर विस्तृत व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री एम.एम. अत्रे, आईपीएस, आईजीपी (सेवानिवृत्त) ने 'संगठित अपराध' के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री कप्तान सिंह, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने पुलिस के 'सामाजिक दायित्व (पुलिस एक्ट की धारा 30) वरिष्ठ नागरिक एवं माता-पिता की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, संबल योजना' पर विस्तृत व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने 'किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015, बाल श्रम, बाल तस्करी एवं पुलिस की भूमिका' पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के पंचम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर.एस. शर्मा, अति. निदेशक, एफ.एस.एल. (सेवानिवृत्त) ने 'विधि विज्ञान की सहायता कब कैसे ली जाएगी, विभिन्न घटनास्थलों से साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया एवं विशेषज्ञ से राय प्राप्त करने हेतु अग्रगण्य पत्र का प्रारूप एवं अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता, विशेषतः डी.एन.ए. परीक्षण, प्रादर्शों का परीक्षण, सील मुहर कर राय प्राप्त करने में ध्यान रखने योग्य बातें' के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। तृतीय सत्र में श्री रमेश अरोड़ा, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) ने 'The Good Police Man' पर व्याख्यान दिया। अन्तिम सत्र में श्री महेश कुमार, उ.नि. ने 'नवीनतम संशोधन भा.द.सं., द.प्र.सं., साक्ष्य अधिनियम' के संबंध में बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तिम दिन के प्रथम सत्र में श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (स्पेशल कोर्स एवं सी.ओ.ई.) 'आर्थिक अपराध, प्रकार एवं सामान्य परिदृश्य, गृह निर्माण सहकारी समितियों व आवासीय योजनाओं द्वारा धोखाधड़ी, शेयर बाजार एवं एन.बी.एफ. कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी' पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में श्री आवेश सिंह, एडीपी, आरपीए ने 'महत्वपूर्ण कोर्ट रूलिंग (सर्वोच्च/उच्च न्यायालय)' से सम्बन्धित केस स्टडीज के माध्यम से एवं निर्णयों के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रतिभागी श्री महावीर प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, जयपुर कमिश्नरेट एवं श्री सुरेन्द्र पंचोली, पुलिस निरीक्षक, जयपुर कमिश्नरेट अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 10.07.2017 को 01.00 पी.एम. पर कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि महोदय श्री बी. एल. सोनी, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (S.D.R.F.), जयपुर का स्वागत एवं पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से कोर्स रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, उप अधीक्षक पुलिस (कोर्स निदेशक) आरपीए के द्वारा किया गया।

मुख्य अतिथि महोदय के उद्बोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। श्री रणवीर सिंह, पुलिस निरीक्षक (सहायक कोर्स निदेशक) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन व कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह
उप अधीक्षक पुलिस
कोर्स डायरेक्टर
आर.पी.ए., जयपुर